RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 3 & 4, Vol. : 5,
July-December (2018), Joint Edition, Pages : 26 - 33
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

स्वयंसेवी संगठनों में महिला कल्याण की नीतियां एवं कार्यक्रम : एक अध्ययन

परमजीत कश्यप
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

Received : 01/08/2018 *1st BPR* : 20/08/2018 *2nd BPR* : 01/09/2018 *Accepted* : 10/09/2018

ABSTRACT

आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इस बात का मूल्यांकन अनिवार्य हो जाता है कि महिला उत्थान के क्षेत्र में सरकार की नीतियां कितनी कारगर एवं लाभकारी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत सरकार ने कई आवश्यक कदम उठाते हुए, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण व बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, जैसी योजनाएँ आरम्भ की हैं। पिछली सरकारों द्वारा भी महिला विकास को लेकर नीतिगत स्तर पर काम होता रहा है एवं वर्तमान सरकार भी अपनी नीतियों के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'कन्या भ्रूण हत्या' और 'महिलाओं की सुरक्षा' का मामला उठाया था। 'कन्या भ्रूण हत्या' पर कड़े कानून होने के बावजूद भी लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है; इस पर चिंता जताई। सरकार द्वारा मुख्य रूप से लड़कियों के जन्म के लिए बेहतर माहौल देने पर जोर दिया जा रहा है। अनुच्छेद–39 में कहा गया है कि महिलाओं की कम आयु का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक कमजोरी के कारण ऐसे कार्य ना करना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो। निष्कर्षतः महिलाओं अभी और अधिक सबल बनाने की आवश्यकता है।

महिलाएँ शताब्दियों से ही भेदभाव व शोषण सहते–सहते निःशक्त हो चुकी हैं। उनकी योग्यता को दबाकर उसे चुल्हे–चौके में धकेलने वाले पुरुष प्रधान समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में एक साधन के रूप में उपयोग किया है। पुरुष प्रधान सरकारों ने भी महिला विकास का झुनझुना बजाया है। महिलाओं की उपेक्षा का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाओं को सम्मान तक दिये जाने में भेदभाव रहा है। महिलाओं की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में व्याप्त है। विश्व की आँख 1975 में खुली और उसने 8 मार्च को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' की औपचारिक रस्म अदा कर दी। 20वीं सदी के ढ़ाई दशक में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। जब तक इस सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाता तब तक महिलाओं को मात्र राजनैतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत सरकार ने कई आवश्यक कदम उठाते हुए, स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण व बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, जैसी योजनाएँ आरम्भ की हैं। साथ ही सरकार ने जन्म से पूर्व लिंग की जांच तकनीकों की निगरानी, अस्पताल में प्रसव की बढ़ोत्तरी के आवश्यक उपाय जैसी नीतियों पर जोर देकर महिला विकास से सम्बन्धित अनेक कदम उठाए हैं, जिससे महिलाओं का पूर्ण विकास हो सके।

आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इस बात का मूल्यांकन अनिवार्य हो जाता है कि महिला उत्थान के क्षेत्र में सरकार की नीतियां कितनी कारगर एवं लाभकारी है। पिछली सरकारों द्वारा भी महिला विकास को लेकर नीतिगत स्तर पर काम होता रहा है एवं वर्तमान सरकार भी अपनी नीतियों के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'कन्या भ्रूण हत्या' और 'महिलाओं की सुरक्षा' का मामला उठाया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि लोगों को बेटियों से नहीं बल्कि अपने बेटों से भी घर से बाहर निकलने पर पूछना चाहिए कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो वह करने वाला किसी का बेटा ही होता है। इसलिए बेटों पर भी ठीक बेटियों के बाहर निकलने की तरह ही बंधन लगाना चाहिए। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने समाज में बेटे और बेटियों के बीच बढ़ते भेदभाव, लड़कियों की असुरक्षा पर भी चिंता जताई थी। लोग बेटियों के पैदा होने से पहले ही मरवा डालते हैं। 'कन्या भ्रूण हत्या' पर कड़े कानून होने के बावजूद भी लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है।

सरकार ने अब अधिनियम 2012 को लागू करके लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना इस अभियान का मकसद बनाया है। इस

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

अभियान में मुख्य रूप से लड़कियों के जन्म के लिए बेहतर माहौल देने पर जोर दिया गया है।

महिला विकास सम्बन्धी नीतियाँ व कार्यक्रम

किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ ऐसी नीतियों का प्रतिपादन किया जाना आवश्यक होता है, जो दिशा–निर्देश कर सके। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन की प्रधान क्रियाओं में से एक हैं। नीतियां ऐसा प्रामाणिक मार्गदर्शक है जो प्रबन्धकों को योजना बनाने, कानूनी आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है। नीतियां प्रशासक को अपने क्रियाकलापों को कार्य के लिए एक निश्चित ढांचे के अन्दर बनाये रखने में सहायता देती है। नीति की एक ऐसे ढांचे का निर्धारण करती है, जिसके अन्दर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी संगठन के उद्देश्य अस्पष्ट तथा सामान्य होते हैं, जिन्हें नीति लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया जाता है, जो प्रकाशन में गतिशीलता उत्पन्न करते हैं। नीतियां उद्देश्यों को निश्चित अर्थ प्रदान करती हैं और प्रशासन में समस्त नियोजन नीतियों पर कार्य करती हैं। नीतियां विशेष रूप से नियोजन हैं। नीति का सम्बन्ध निर्णय करने से है। नियोजन नीतियों के द्वारा वांछित उद्देश्यों को पूरा करता है।

नीति कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह गतिशील है और निरन्तर बदलने की इसमें प्रवृत्ति होती है। जब उद्देश्य बदल जाते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा परिस्थितियों में विभिन्नता आती है, तो उसी के अनुसार नीति में बदलाव आना भी स्वाभाविक है। नीतियां ऐसी प्रमाणिक मार्गदर्शन है जो प्रबन्धकों को योजना बनाने, कानूनी आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है। उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बुनियादी मार्गदर्शक है, जिससे समाज कल्याण के लिए किसी भी प्रकार के निर्णयों को लेने में सहायता मिलती है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपबन्ध संविधान में शामिल किए गए। भारत के संविधान द्वारा देश के नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन को लोकतन्त्रीय ढंग से पूरा आनन्द प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। इनमें से एक अधिकार 'शोषण के विरुद्ध' अधिकार भी दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में महिलाओं के शोषण को रोकना तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का प्रबन्ध किया गया है।

संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। नीति–निर्देशक सिद्धान्तों की पालना के बिना देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। इन निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपबन्ध किए गए हैं।

अनुच्छेद–39 में कहा गया है कि राज्य को यह देखना चाहिए कि महिलाओं की कम आयु का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक कमजोरी के कारण नागरिकों को ऐसे कार्य ना करना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो।

इस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धान्तों राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी की भी झलक दिखाई देती है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना। अनुच्छेद 47 के अनुसार यह प्रबन्ध किया गया कि राज्य महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर को उच्चतर बनाएगा। भारतीय संविधान के इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा सरकार को यह निर्देश दिए गए हैं कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखे।

महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों से संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ राष्ट्रीय उद्देश्योंऔर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित शिक्षा नीति और इसकी कार्य योजना में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। औपचारिक और गैर–औपचारिक विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा, उनके प्रवेश और उनकी शिक्षा को निरन्तर रखने, पाठ्यक्रम में लिंग भेद हटाने पर बल दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्ययन केन्द्रों व प्रकोष्ठों की स्थापना को बढ़ावा देने, स्त्री समानता के क्षेत्र में, प्रशिक्षण विकास करने में एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में वित्तिय सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लागू करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं सें सम्बन्धित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौंपा गया है, और इस प्रकार पहली बार स्वयं महिलाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वे अपनी स्थिति का आंकलन करे तथा अपनी स्थिति को सुधारने में अपेक्षित सहयोग दें।

कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह

देश की आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ अधिक से अधिक महिलाएं अपने घरों से बाहर नौकरी की तलाश में निकलती है। उन्हें जो अनेक कठिनाइयां आती हैं उनमें से एक यह है कि उन्हें एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण में अपेक्षित

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

आवास सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की इन महिलाओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए आवासगृहों के निर्माण के लिए सहायता की केन्द्रीय योजना शुरू हुई। स्वयंसेवी संगठनों को भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत और निर्माण कार्य का 75 प्रतिशत वित्तिय सहायता के रूप में दिया जाता है। होस्टल आरम्भ करने के लिए भूमि के खरीदने के लिए इसी ढंग से सहायता दी जाती है।

स्वयंसेवी संस्थाओं के अतिरिक्त, स्थानीय समितियां, महिला विकास निगम, विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज जो समाज कार्य करते हैं, उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत वित्तिय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जो भी संगठन वित्तिय सहायता चाहते हैं, उन्हें एक आवेदन–पत्र राज्य सरकार को भेजना होता है तथा उस आवेदन की एक अग्रिम प्रति महिला विकास विभाग को देनी होती है। विभाग चार किश्तों में पूरी अनुदान राशि का 90 प्रतिशत देता है। दो हजार रुपये तक मासिक आय पाने वाली महिलाएं इन महिला आवास गृहों में आवास के योग्य हैं।

आपदाग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र संस्थाएं

आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावर्णात्मक स्थितियों से पैदा होने वाली जीवन की विपदाएं महिलाओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है। युवतियां और प्रौढ़ विधवाएं, अविवाहित माताएं और अपहरण के शिकार के वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी महिलाओं को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से 1977 में एक योजना बनी थी जिसके अन्तर्गत व्यवसायात्मक प्रशिक्षण और रोजगार तथा आवासीय व्यवस्था का प्रावधान था कि ये महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो सके। इस योजना के अन्तर्गत थोड़े समय का प्रशिक्षण शामिल था जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न बढ़े। यह योजना केन्द्र द्वारा प्रयोजित है। खर्च का विभाजन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और क्रियान्वयन संस्थाओं में 45:45:10 के अनुपात में तय हुआ था। केन्द्रशासित प्रदेशों के मामले में खर्च केन्द्र सरकार तथा क्रियान्वयन कर्ता संगठन के बीच 90:10 के अनुपात में बाँटना निश्चित हुआ। स्वयंसेवी संस्थायें जो कि सभाओं/ट्रस्टों, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों, पंचायतों का अन्य स्थानीय समितियों के रूप में पंजीकृत है, वे भी इस सहायता के योग्य हैं।

राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत इस केन्द्र की स्थापना की गई है। महिलाओं से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शोध, प्रशिक्षण, प्रलेख, सूचना प्रसार, नीति, सहायता, समर्थन इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्षक संगठन के रूप में कार्य करने का दायित्व दिया गया है। इस केन्द्र की स्थापना 1988–2000 ई. तक राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में तैयार की जाने की योजना के अधीन किए गए प्रस्ताव के अन्तर्गत की गई है।

महिलाओं के प्रति संचेतना जागरण

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के महिला विकास प्रभाग ने अपने नियमित क्रियाकलापों के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षणों में कानूनी प्रशिक्षण, नेतृत्व तथा संगठन सम्बन्धित प्रशिक्षण, महिलाओं से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जागृति तथा महिला संचेतना कार्यक्रम विकास कार्यों में महिलाओं से सम्बन्धित विषय के सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने का प्रशिक्षण, इत्यादि प्रमुख से उल्लेखनीय है।

दक्षेस (SAARC) बालिका दशक के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना

1990 में माले में दक्षेस देशों की सरकारों के प्रमुखों/राज्याध्यक्षों द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के महिला विकास विभाग द्वारा दक्षेस बालिका दशक के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (1991–2000) तैयार की गई। इस योजना में भारतवर्ष में बालिकाओं की उत्तरजीविता संरक्षण विकास पर तीन मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और कमजोर वर्गो में किशारियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

ग्रामीण अंचलों की महिलाओं की विकास योजना

सितम्बर, 1982 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की सहायक योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास की योजना प्रारम्भ की गई इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. भारत वर्ष की गरीबी रेखा के नीचे की महिला जनशक्ति को औद्योगिक क्षेत्र की ओर ले जाना।
2. महिलाओं को आर्थिक उन्नति के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करना।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

3. समूह के रूप में कार्यरत महिलाओं को सामाजिक निवेश के अन्य कार्यक्रमों जैसे– स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा पुष्टाधार कार्यक्रम, वातावरण की स्वच्छता कार्यक्रम इत्यादि से लाभान्वित कराना।
4. रोजगार सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रशिक्षण देना।

राष्ट्रीय महिला कोष

समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में इस कोष की स्थापना 1993 में की गई। इस कोष का पहला उद्देश्य निर्धन महिलाओं विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धन महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना। इस कोष का प्रबन्धन एक स्वायत्तशासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्यमंत्री इस बोर्ड की अध्यक्षता करता है। बोर्ड द्वारा गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य महिला संगठनों जैसे सहकारी समितियों/महिला विकास निगमों के माध्यम से महिलाओं को ऋण देने की नीतियों तथा कार्यरीतियों का अनुमोदन कर दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों के माध्यम से प्रत्येक प्राप्तकर्त्ता को कम समय वाले ऋण के रूप में मध्यस्थ संगठनों को 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ये मध्यस्थ संगठन महिला ऋण प्राप्तकर्ता को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करते हैं।

महिला समृद्धि योजना

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना।
2. महिलाओं को घरेलू संसाधनों पर अधिक नियंत्रण कर पाने के लिए सक्षम बनाना।
3. सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

यह एक केन्द्रीय योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण व्यस्क महिलाओं को स्थानीय डाकखाने में महिला समृद्धि खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें वे अपनी बचत की धनराशि को जमा कर सकती है। 300 रुपये तक की धनराशि को एक वर्ष की अवधि तक प्रतिबन्धित करने पर सरकार 25 प्रतिशत अर्थात् 75/– रुपये तक का अंशदान देती है। खाताधारी द्वारा एक कलैण्डर वर्ष में खाते से दो बार पैसा (कम से कम 20 रुपये) निकालने की व्यवस्था की गई है। कम से कम 30 दिन तक डाकखाने में जमा रखी गई राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

नारी निकेतन सेवायें

ये सेवायें सोलह वर्ष की आयु से अधिक की अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओं, विधवाओं व अधःपतन की आशंका का शिकार होने वाली एवं बेसहारा महिलाओं को सामाजिक एवं शैक्षणिक संरक्षण देते हुए उनके भरण–पोषण शिक्षण–प्रशिक्षण और पुनर्वासन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उपलब्ध करायी जा रही है।

महिला स्वयं सहायता समूह

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा इसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूनीसेफ की बराबर–बराबर भागीदारी रखी गई है। इसमें गरीबी की रेखा के नीचे की महिलाओं को समूह के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत समूह को वित्तिय एवं उत्पादक क्रियाओं का आधार माना गया है। इस योजना के अन्तर्गत 18–40 वर्ष की आयु की 15–20 महिलाओं के समूह का गठन कर सोसाइटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण कराया जाता है।

पंजीकरण के लिए तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव में इस प्रकार के उद्देश्य होते हैं:–

1. गर्भवती महिलाओं तथा द्यात्री महिलाओं में स्वस्थ एवं पोषण की विशेष आवश्यकता की जानकारी बढ़ाना और आवश्यकताग्रस्त वर्ग की भोजन के अतिरिक्त अल्प आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना।
2. ग्रामीण महिलाओं, जिनकी संख्या 15 से 20 के बीच के समूह तैयार करना।
3. उन्नतिशील ढंग से उत्पादन एवं इसके संरक्षण की व्यवस्था करना।
4. क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देते हुए महिलाओं को उन्नति के अवसर उपलब्ध कराना।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

बालिका समृद्धि योजना

बालिका समृद्धि योजना का प्रारम्भ 2 अक्तूबर, 1947 को हुआ था। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को 15 अगस्त, 1947 को अथवा उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका की माँ को 500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी। इस योजना को 1999 में संशोधित किया गया। इसके तहत अब 500 रुपये की सहायता राशि लड़की के नाम से डाकघर/बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। लड़की जब स्कूल जाने लगेगी तो उसकी सालाना छात्रावृत्ति भी उसी खाते में डाली जाएगी। यह छात्रावृत्ति पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक 300 रूपये से 1000 रुपये की दर से दी जाएगी। लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर और अविवाहित रहने तक वह कुल राशि जमा राशि (ब्याज सहित) उसे मिल जाएगी।

महिला साशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीतिः

सितम्बर, 1995 के दौरान महिला सम्मेलन में भारत द्वारा किए गए वायदे के मध्यनजर भारत सरकार ने विश्व स्तर पर महिलाओं के स्तर की जानकारी लने के बाद भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के समान संवैधानिक दर्जा दिया है। बिना किसी भेदभाव के स्त्री–पुरुष एक समान माने गए हैं। सभी प्रकार के सलाह–मश्वरे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस नीति के अनुसार कार्यवाई जारी है।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्ययोजना

कार्ययोजना से केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों/विभागों, गैर–सरकारी संगठनों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों और समाज के अन्य वर्गों की गतिविधियों को मार्गदर्शन मिलेगा। कार्ययोजना में शामिल मुद्दे ये हैं– अवैध व्यापार की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास, आश्रयगृह, कानूनी सुधार, कानून लागू करना। महिलाओं के अवैध व्यापार और पेशेवर यौन उत्पीड़न का सामना करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट तथा कार्ययोजना सरकार से सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को भेज दी गई है ताकि वे कार्रवाई की मदों को लागू कर सकें।

महिला अधिकारिता वर्ष–2001

महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 2001 में महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया गया। इस वर्ष की कुछ उपलब्धियाँ ये रहीं– महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करना, समन्वित महिला अधिकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा) आरम्भ करना, सांसदों और सबसे निचले तबके की महिलाओं के बीच टेली कांफ्रेंस, महिलाओं पर हिंसा रोकने संबंधी जिला स्तरीय समितियां कार्यशील बनाने के लिए मार्गदर्शन सम्बन्धी मुद्दे और विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन।

जननी सुरक्षा योजना

निर्धनता रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए एक नई जननी सुरक्षा योजना1 अप्रैल 2005 से प्रारम्भ की गई है। पूर्णतः केन्द्र प्रयोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है तथा यह 2005–06 के बजट से प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू की गई इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रयासों के समय प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के तहत समय प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के तहत प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य सेविका को भी 200 रुपये से 800 रुपये तक की राशि क्षेत्र निवारण के आधार पर प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति

देश में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, 2001' की घोषणा की गई और इनमें किए गए प्रावधानों को भली–भांति लागू करने का दृढ़ निश्चय भी व्यक्त किया गया। इस नीति के तहत महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें प्रयाप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माण का आश्वासन भी दिया गया है। महिला उत्थान नीति, 2001 के प्रमुख बिन्दू निम्नलिखित हैं:–

- महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन्हें पुरुषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में समय रूप से हिस्सेदार बनाना।
- देश की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

- महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और समुदायिक प्रक्रिया विकसित करना।
- देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना।
- महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे ऐसा महसूस कर सकें कि वे आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने में शामिल हैं।
- समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने का बढ़ावा देना।

निर्मल कुंज महिला समिति, यमुनानगर (हरियाणा)

निर्मल कुंज महिला समिति एक स्वयंसेवी संस्था है जो वर्ष 2004 से हरियाणा के यमुनानगर जिले में समाज सेवा कार्य कर रही है। यह संगठन अब तक कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कल्याण से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम चला चुकी है। यह संस्था एक ग्रुप के माध्यम से काम करती है और इस ग्रुप को नाम दिया गया है 'स्वास्थ्य सहायता समूह' (ैभ्ळ)। इस ग्रुप के अन्तर्गत 10 औरतों को लेकर जो कि पूरी तरह से संस्था के प्रति इच्छुक होती है, जोड़ दिया जाता है तथा उनमें से एक ऐसी महिला जो थोड़ी बहुत पढ़ी–लिखी हो, उसे उस ग्रुप का प्रधान बना दिया जाता है। ग्रुप में से दो ऐसी महिलाओं को लिया जाता है जिन्हे खजांची (बैपमत) का नाम दिया जाता है।

ऑल इण्डिया समाज सेवा केन्द्र (सृष्टिजनकल्याण समिति) यमुनानगर, (हरियाणा)

ऑल इण्डिया समाज सेवा केन्द्र एक समाज सेवी संगठन है, जिसे सृष्टि जन कल्याण समिति के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष 2012 से हरियाणा के यमुनानगर जिले में समाज सेवा के कार्य कर रही है। यह संगठन एक ग्रुप बनाकर कार्य करती है। जैसे–जाति के आधार पर एस.सी. का ग्रुप, बी.सी. का ग्रुप, आयुवर्ग का ग्रुप।

इसी माध्यम से संगठन पैसा एकत्रित करती हैं और इसी पैसे से जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करती हैं। संगठन अपने सीमित संसाधनों से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला चुकी है। यह संगठन केवल महिलाओं के लिए कार्य करती है। जिसके अन्तर्गत बेराजगार महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, विधवा व बेसहारा महिलाएं, झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाली महिलाएं आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

संगठन का प्रबंध

संगठन की मुख्य अध्यक्षिका श्रीमती मीनू जी हैं। संगठन की प्रशासनिक प्रणाली में दो स्तर हैं। उच्च स्तर पर अध्यक्ष व दूसरे स्तर पर संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता हैं। संगठन की नियमित बैठकें चलती रहती हैं, जिनके अन्तर्गत कार्यकर्ताओं को संगठन के सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है।

संगठन के उद्देश्य

- महिलाओं को शिक्षत करना।
- महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
- महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रशिक्षण द्वारा योग्य बनाना।
- महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना।

संगठन की फीस

संगठन से जुड़ने के लिए किसी भी महिला से किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती। परन्तु इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक शर्त रखी गई है कि महिला यमुनानगर जिलेकी ही होनी चाहिए। जिसके लिए उनसे संगठन द्वारा तैयार किया गया फार्म भरवाया जाता है। जिसके अन्तर्गत आई.डी., फोटोग्राफ, हरियाणा रेजीडेन्स, जाति आदि प्रमाण–पत्रों को लिया जाता है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

संगठन की क्रियाएंः

- ग्रुप बनाकर कार्य करना।
- महिलाओं के टी.बी. टेस्ट करवाना।
- चिकित्सा सुविधाएं।
- आपस में पैसा एकत्र करके कैम्प लगवाना।
- महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पिछले पाँच वर्षों में संगठनः

पिछले पाँच वर्षों में 7 से 8 हजार के करीब महिलाएं इस संगठन के द्वारा सहायता ले चुकी है। जिसके अन्तर्गतः–

1. शिक्षा
2. चिकित्सा सुविधाएं
3. आर्थिक सहायता।

संगठन के मुख्य कार्यक्रमःइन कार्यकर्मो का वर्णन निम्नलिखित है।

महिलाओं को शिक्षित करना व शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना

सृष्टि जन कल्याण समिति महिलाओं को शिक्षित व जागरूक करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम व शिविर समय–समय पर आयोजित करती रहती है और हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान में भी पूर्ण सहयोग देती है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम

संगठन समय–समय पर महिलाओं के लिए निःशुल्क जाँच का प्रबंध कराती है। जिसके अन्तर्गत– टी.बी. टेस्ट, ब्लड टेस्ट आदि।

सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम

संगठन समय–समय पर महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जिसमें अभी तक 500–600 महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं।

रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम

जिन महिलाओं की आर्थिक दशा अत्यधिक दयनीय होती है, संगठन उन महिलाओं को निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण देती है। जैसे– कढ़ाई, दरी बुनना, मोमबत्ती बनाना इत्यादि।

महिला जागरूकता कार्यक्रम

संगठन द्वारा समय–समय पर महिलाओं को उनके अधिकारों को जानने के लिए तथा जीविका कमाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करती है। संगठन शिविर के माध्यम से समय–समय पर हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई महिला नीतियों के बारे में जागरूक करती है।

संगठन के वित्तिय साधन

यह संगठन निजी सम्पत्ति के द्वारा चलायी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि सहयोग सरकार का नहीं है। जो भी कार्यक्रम इस संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, वो निजी राशि के द्वारा ही चलाए जाते हैं। यह संगठन निजी रूप से ही कार्य करती है। अतः इसमें सरकार व अन्य किसी संस्थान का कोई लेन–देन नहीं है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिला कल्याण में विशेष सुधार हुआ है और ये संगठन महिलाओं को समाज में उनकी वास्तविक स्थिति प्रदान करवाने के लिए प्रयासरत है।

सुझाव

- इन स्वयंसेवी संगठनों के अन्तर्गत कुछेक कर्मचारी कठोरता का व्यवहार रखते है उन्हे उस व्यवहार को खत्म करना चाहिए।
- इन संगठनों के कर्मचारियों को महिलाओं की समस्याओं को सही ढंग से सुनना चाहिए।
- इन संगठनों को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 26-33, ISSN 2348 – 3318

- हरियाणा सरकार द्वारा भी इन स्वयंसेवी संगठनों को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. योजना, अप्रैल 2002, महिला सशक्तिकरण, पृ.–38
2. रेमी कुमारी, 'बाल सरोकार', कुरुक्षेत्र, दिल्ली, ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार, नवम्बर 2012
3. सत्यपाल रूहेला, भारत में बाल शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 2010
4. बी.एल. फड़िया, ''लोक प्रशासन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2009, पृ.–142
5. माहेश्वरी एवं अमरेश्वर अवस्थी, 'लोक प्रशासन', लक्ष्मी नारायण, अग्रवाल बुक डिपो, आगरा 2005 पृ.सं.–149, 150
6. सुखदेव कुमार, 2007 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं प्रशासन, जीन्द जिले का अध्ययन, एम.फिल् कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, पृ. 41–42
7. वही, पृ. 43–44
8. पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, भारत सरकार, पृ.–23
9. प्रशासनिक प्रतिवेतन एवं प्रगति विवरण, वर्ष–2012–13, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, पृ0 3
10. प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्रो.आर.बी.एस. वर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 88, 90
11. डॉ. डी.के.सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 188
12. वही, पृ. 192–193
13. डॉ. प्रीति दूबे, पूर्वोक्त, पृ. 58, 62
14. वही, पृ. 64
15. जी.एल.शर्मा., 'सामाजिक मुद्दे', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–2015, पृ. 423
16. वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17 निर्मल कुंज महिला समिति, यमुनानगर (हरियाणा)
17. वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17ऑल इण्डिया समाज सेवा केन्द्र (सृष्टि जनकल्याण समिति), यमुनानगर (हरियाणा)